

# विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय



रामकृष्ण परमहंस नगर

कोटा, रायपुर- 492 010 (छ.ग.)

दूरभाष : (0771) 2575734, फ़ैक्स: 2575734

e-mail : vivekanandavidyapeeth@rediffmail.com

Website : www.vivekvidya.ac.in

## आवेदन पत्र

1. बालक का नाम—
2. पिता का नाम—
3. माता का नाम—
4. जन्मतिथि—(शब्दों में )—
5. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए (तीसरी/छठवीं/नवमीं/ग्याहरवीं) —
6. पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण : उत्तीर्ण कक्षा — स्कूल का नाम —  
शैक्षणिक सत्र — परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत —
7. जाति — उपजाति — वर्ग —  
(जाति के नाम के साथ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का स्पष्ट उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
8. पिता का व्यवसाय — पिता की मासिक/वार्षिक आय —
9. माता का व्यवसाय — माता की मासिक/वार्षिक आय —
10. माता-पिता की समस्त श्रोतों से मासिक/वार्षिक आय —
11. स्थायी पता—  
पिन कोड —  
(फोन नं. यदि हो तो ) — मोबाइल नं. —
12. पत्र व्यवहार का पता —  
पिन कोड —  
फोन नं. (स्वयं का फोन नहीं होने की स्थिति में परिचित व्यक्ति का नाम तथा उनका फोन नं. दें) नाम —  
फोन नं. —
13. स्थानीय अभिभावक का नाम —

### पालक की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं तो शाला-प्रबंधन को मेरे पाल्य का प्रवेश निरस्त कर उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यदि मेरा पता एवं/फोन नं./मोबाइल नं. बदलता है तो इसकी सूचना तत्काल प्राचार्य कार्यालय में दूंगा।

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नाम —

छात्र से सम्बन्ध —

### स्थानीय अभिभावक की घोषणा

मैं श्री — के पुत्र चि. — का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी। यदि मेरा पता एवं/फोन नं./मोबाइल नं. बदलता है तो इसकी सूचना तत्काल प्राचार्य कार्यालय में दूंगा।

स्थानीय अभिभावक का नाम तथा पूरा पता

पिन कोड —

फोन नं. —

मोबाइल नं. —

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

(स्वयं का फोन नहीं होने की स्थिति में परिचित व्यक्ति का नाम एवं उसका फोन नम्बर दें)

**टीपः** इस आवेदन-पत्र के पीछे पृष्ठ पर छात्रों एवं पालकों के लिये पालनीय नियमों का उल्लेख किया गया है। कृपया नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसके नीचे दर्शित घोषणा को आवश्यक रूप से भरें।

## छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है।
2. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह्न 2 से 5 बजे तक मिल सकते हैं। अपने पाल्य को व्यक्तिगत रूप से खाने-पीने की वस्तुयें देना मना है।
3. रायपुर से बाहर रहने वाले पालकों को आवेदन-पत्र में स्थानीय पालक का नाम तथा पूर्ण पता देना आवश्यक है जो आवश्यकता पड़ने पर छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके। चयनित छात्रों के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
4. यदि किसी पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नं. में परिवर्तन होता है तो उनको प्राचार्य-कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
5. आवेदन-पत्र में अभिभावक/स्थानीय अभिभावक का फोन नं. देना आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सूचित किया जा सके। यदि अभिभावक/स्थानीय अभिभावक के पास फोन/मोबाइल फोन उपलब्ध न हो तो उन्हें किसी ऐसे परिचित व्यक्ति का फोन नं./मोबाइल नं. देना चाहिए जो उन्हें तत्काल सूचना पहुँचा सके।
6. विद्यापीठ में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। छात्र केवल उन्हीं अवकाशों में अपने घर जा सकते हैं।
7. छात्रों को विद्यापीठ द्वारा निर्धारित दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है।
8. पालकों को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए।
9. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में 'पूरक' की पात्रता होने पर या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
10. विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर छात्रों को किसी भी समय विद्यापीठ से निकाला जा सकता है।
11. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिये बहुत सी सामग्रियाँ दी जाती हैं। कुछ छात्र उन सामग्रियों को असमय में ही नष्ट कर देते हैं या गुमा देते हैं। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी।
12. कुछ छात्र या छात्रों का समूह शरारतपूर्वक विद्यापीठ परिसर में स्थित भवनों को अथवा विद्यापीठ की सामग्रियों को क्षतिग्रस्त करता है। ऐसी स्थिति में उसके सुधार हेतु व्यय की गयी राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
13. यदि किसी पालक को प्राचार्य/शिक्षक/छात्रावास अधीक्षक से मिलना हो तो वे कार्यालयीन दिवस के कार्यालयीन समय में ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं।
14. पालकों की बैठक में पालकों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। अन्य अवसरों में आवश्यक होने पर यदि विद्यालय प्रबन्धन पालक/पालकों को बुलाता है तो उनका निर्धारित समय में आना अनिवार्य है।
15. बिना अनुमति के छात्र विद्यापीठ परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
16. समय-समय पर विद्यापीठ में परिवर्तित/संशोधित तथ अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
17. विद्यापीठ में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदार पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी।
18. विद्यापीठ परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकूद, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी।
19. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को सत्र के मध्य विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विद्यालय में प्रवेश लिया हुआ छात्र विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो कारण बताकर, केवल पांचवी, आठवीं, और दसवीं कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही विद्यालय छोड़ सकते हैं, अन्य कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
20. मल्टीमिडिया मोबाइल फोन विद्यालय के छात्रों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शाला तथा छात्रावास में मोबाइल फोन लाना पूर्णतः मना है तथा जांच के दौरान मोबाइल फोन मिलने पर उसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जावेगा।

### **घोषणा**

**प्राचार्य**

मैंने उपरोक्त पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियम एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करूँगा।

छात्र का हस्ताक्षर	स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर	पालक का हस्ताक्षर
दिनांक:	दिनांक:	दिनांक:
छात्र का नाम -----	स्थानीय अभिभावक का नाम -----	पालक का नाम -----
कक्षा -----	पता -----	पता -----
	-----पिन कोड -----	
	फोन नं. -----	फोन नं. -----
	मोबाइल नं. -----	मोबाइल नं. -----



# विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  
रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर-492010(छत्तीसगढ़)

पासपोर्ट साईज  
का नवीनतम  
फोटो चिपकायें

## विद्यार्थी से संबंधित जानकारी (इसे भरकर आवेदन पत्र साथ संलग्न करें)

1. विद्यार्थी का नाम -----
2. पिता का नाम -----
3. माता का नाम -----
4. जन्मतिथि ----- (शब्दों में) -----
5. जाति ----- उपजाति -----  
वर्ग -----

(जाति के नाम के साथ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का स्पष्ट उल्लेख करें)

6. कक्षा -----
7. पूरा पता (स्थायी) -----  
----- पिन कोड -----

फोन नं. (कोड सहित) -----

मोबाइल नं. -----

(यदि फोन नहीं हो तो किसी परिचित का फोन नं. एवं मोबाइल नं. दें तथा परिचित व्यक्ति का नाम का भी उल्लेख करें )

नाम एवं पता ----- फोन नं. (कोड सहित) -----

मोबाइल नं. -----

8. स्थानीय अभिभावक का नाम -----  
पूरा पता ----- पिन कोड -----  
-----

फोन नं. (कोड सहित) -----

मोबाइल नं. -----

(यदि फोन नहीं है तो परिचित का फोन नम्बर दें तथा परिचित व्यक्ति के नाम भी उल्लेख करें)

नाम एवं पता -----

----- फोन नं. (कोड सहित) -----

मोबाइल नं. -----

तारीख: -----

छात्र का हस्ताक्षर

नाम -----

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

नाम -----

नोट: यदि किसी पाल्य के पिता/अभिभावक /स्थानीय अभिभावक का पता अथवा फोन नम्बर में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित पता अथवा फोन नम्बर सूचित करने की जम्मेदारी उनकी होगी।

# विवेकानन्द विद्यापीठ

आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय



रामकृष्ण परमहंस नगर

कोटा, रायपुर 492 010 ( छत्तीसगढ़ )

दूरभाष : 2575734, फ़ैक्स : 2575734

e-mail : vivekanandavidyapeeth@rediffmail.com

Website : www.vivekvidya.ac.in

## प्रवेश सूचना ( सत्र 2016-17 )

1. विवेकानन्द विद्यापीठ, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एक आदर्श आवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित कर रहा है। यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। शिक्षा सत्र 2016-17 में तीसरी, छठवीं, नवमीं एवं ग्यारहवीं की कक्षाओं में सीट की उपलब्धता के आधार पर केवल अनुसूचित जाति (66%) एवं अनुसूचित जनजाति (34%) के छात्रों को प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा, छात्राओं को नहीं। कक्षा तीसरी, छठवीं, नवमीं, एवं ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में (60% या अधिक) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के ही आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अतः प्रथम श्रेणी से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन न करें। उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु पिछली कक्षा के अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश केवल पिछले सत्र अर्थात् 2015-16 में ही उत्तीर्ण छात्रों को दी जायेगी।
3. कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु छात्र की आयु 30 अप्रैल, 2016 की स्थिति में 9 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 30 अप्रैल, 2007 से पहले की जन्मतिथि वाले छात्र विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. कक्षा तीसरी, छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के नाम पर आवेदन-पत्र 16 अप्रैल, 2016 तक स्वीकार किये जायेंगे। 16 अप्रैल के बाद मिलने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र का मूल्य पाँच रुपये है जो संस्था में नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र संस्था के वेबसाइट [www.vivekvidya.ac.in](http://www.vivekvidya.ac.in) पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड करके भरकर भेजा जा सकता है। डाक से आवेदन-पत्र मंगाने पर स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा, जिसमें पाँच रुपये का डाक टिकिट चिपका हो, भेजना होगा तथा उस लिफाफे के भीतर आवेदन-पत्र के मूल्य के रूप में अतिरिक्त पाँच रुपये की डाक टिकिट भी रखनी होगी। आवेदन-पत्र की फोटो कापी या टाइप की गयी प्रति भी स्वीकार की जायेगी।
5. आवेदन-पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (केवल कक्षा तीसरी में प्रवेश हेतु), पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा अन्यथा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अस्थायी (प्रोवीजनल) जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर भी दिया जा सकेगा परन्तु प्रवेश की तिथि से छः माह के भीतर जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. विद्यापीठ में कक्षा तीसरी छठवीं और नवमीं में प्रवेश हेतु 21 अप्रैल, 2016 को प्रातः 11.00 बजे से प्रवेश-परीक्षा ली जायेगी। तीसरी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (50 अंक), हिन्दी (30 अंक), एवं अँग्रेजी (20 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा दूसरी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।  
छठवीं में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा में गणित (25 अंक), हिन्दी (25 अंक) पर्यावरण (25अंक) एवं अँग्रेजी (25 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे तथा छ.ग. बोर्ड द्वारा कक्षा पाँचवी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।  
नवमीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में गणित (17 अंक), विज्ञान(17 अंक), सामाजिक विज्ञान (17 अंक), अँग्रेजी (17 अंक), हिन्दी (16 अंक) एवं संस्कृत (16 अंक) विषयों के प्रश्न पूछे जायेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।  
सभी कक्षाओं के प्रश्न-पत्र दो घंटे के होंगे। परीक्षाएं ठीक समय पर प्रारंभ हो जावेगी। विलम्ब से आने वाले को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। पालक छात्र को लेकर विद्यालय में कम से कम 1 घंटा पूर्व आ जाए और परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। परीक्षा में उन्हीं छात्रों को बैठने दिया जाएगा जिनके निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र 16 अप्रैल, 2016 तक प्राप्त हो जायेंगे। चयनित छात्रों की सूची 28 अप्रैल, 2016 को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना पटल पर चरपा कर दी जाएगी तथा संस्था के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रवेश-परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश-परीक्षा में आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।
7. कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र 31 मई, 2016 तक स्वीकार किये जायेंगे। कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश कक्षा दसवीं के बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा। चूंकि कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम आना शेष है एवं परीक्षा परिणाम आने के बाद यदि कुछ विद्यार्थी विद्यालय छोड़ते हैं तो कुछ सीट रिक्त होने की संभावना है ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से भी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे परन्तु उनका प्रवेश रिक्त सीट की उपलब्धता पर ही निर्भर होगी।

इस शर्त के साथ कक्षा 11 वीं हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त प्रवेश कक्षा दसवीं में प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम में दिया जावेगा। ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची 10 जून, 2016 को प्रातः 11.00 बजे संस्था के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी। पालकों को अलग से इसकी सूचना नहीं भेजी जावेगी। चयनित छात्रों को 23 जून, 2016 तक संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के बाद आने वाले छात्रों के प्रवेश की पात्रता स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. चयनित छात्रों को प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लेकर उपस्थित होना आवश्यक होगा। जिला परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर नियमानुसार संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना आवश्यक होगा।

प्राचार्य